23. योजना आयोग व राष्ट्रीय विकस परिषद

1950 में भारत सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव (केंद्रीय मंत्रिमंडल के तहत) के बाद योजना आयोग का गठन किया गया। इसका गठन 1946 में के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में स्थापित सलाहकार योजना बोर्ड की संस्तुति के बाद किया गया। यह गैर-संवैधानिक एवं अतिरिक्त संवैधानिक इकाई है।

कार्य

योजना आयोग के कार्य निम्नलिखित हैं-

- प्रत्येक स्तर पर योजना के सफल अमल के लिए चीजों का निर्धारण।
- देश के संसाधनों का संतुलित उपयोग करते हुए सर्वोच्च प्रभावी योजना को बनाना।
- प्रमुखताओं का निर्धारण एवं उन संसाधनों को परिभाषित करना जिनमें इन योजनाओं को लागू किया जा सकता है।
- उन तथ्यों को चिह्नित करना जिससे आर्थिक विकास अवरूद्ध हो रहा हो।
- देश के पदार्थ, पूंजी और मानव संसाधनों का जायजा लेना और उनके संवर्धन की संभावना को तलाशना।

यह उल्लेखनीय है कि योजना आयोग केवल एक स्टाफ एजेंसी, एक सलाहकार निकाय है। इसकी कोई कार्यकारी जिम्मेदारी नहीं है। यह किसी निर्णय के अमल के लिए उत्तरदायी नहीं है।

गठन

योजना आयोग के गठन के संबंध में निम्न बिंदु उल्लेखनीय हैं-

- आयोग के पास चार से सात पूर्णकालिक निपुण सदस्य होते हैं। उन्हें राज्य मंत्री के समान दर्जा प्राप्त होता है।
- आयोग का एक सदस्य सचिव होता है।
- कुछ केंद्रीय मंत्रियों को आयोग के अंशकालिक सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाता है।
- आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। वह आयोग की बैठकों की अध्यक्षता करता है।
- आयोग का एक उपाध्यक्ष भी होता हैं। वह इसका कार्यकारी प्रमुख होता।

आंतरिक संगठन

योजना आयोग के निम्नलिखित तीन अंग होते हैं।

- कार्यक्रम सलाहकार।
- देख-रेख विभाग।
- तकनीकी विभाग।

तकनीकी विभाग

तकनीकी खंड, योजना आयोग की एक बड़ी क्रियात्मक निकाय है। यह मुख्यत: योजना निर्माण, योजना देख-रेख एवं योजना मूल्यांकन में शामिल रहती है।

देख-रेख विभाग

योजना आयोग की निम्नलिखित देख-रेख शाखाएं होती हैं-

- वैयक्तिक प्रशिक्षण शाखा।
- सांगठनिक शाखा।
- लेखा शाखा।
- सामान्य प्रशासन शाखा।
- सतर्कता शाखा।

कार्यक्रम सलाहकार

योजना आयोग में कार्यक्रम सलाहकार के पद का सृजन 1952 में किया गया। इसका सृजन इस उद्देश्य से किया गया कि योजना के क्षेत्र में भारत के राज्यों एवं योजना आयोग के बीच संपर्क बना रहे। इनका पद अतिरिक्त सचिव के समान होता है और यह कई राज्यों का प्रभारी होता है।

योजना आयोग के आंतरिक संगठन में दोहरा पदानुक्रम होता है- प्रशासनिक एवं तकनीकी। प्रशासनिक श्रेणियों का प्रमुख योजना आयोग का का सचिव होता है, तकनकी खंड का मुखिया सलाहकार होता है। जिसका रैंक अतिरिक्त सचिव या संयुक्त सचिव के बराबर होता है।

राष्ट्रीय विकास परिषद

राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) का गठन अगस्त 1952 में किया गया। इसका गठन प्रथम पंचवर्षीय योजना (ड्राफ्ट निर्माण) में भारत सरकार की कार्यकारिणी की संतुति के बाद किया गया।

संगठन

राष्ट्रीय विकास परिषद में निम्नलिखित सदस्य होते हैं-

- भारत का प्रधानमंत्री (इसके अध्यक्ष या प्रमुख के रूप में)
- सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री (1967 से)

- योजना आयोग के सदस्य।
- सभी केंद्रीशासित राज्यों के मुख्यमंत्री/प्रशासक।
- सभी राज्यों के मुख्यमंत्री।

योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है।

उद्देश्य

राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों के तहत की गई-

- देश के सभी हिस्सों में संतुलित एवं तीव्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए।
- योजना के सहयोग के लिए राष्ट्र के संसाधनों एवं प्रयासों को बढ़ाने एवं विस्तारित करने के लिए।
- विस्तृत संदर्भ में सामूहिक आर्थिक नीतियों को प्रोन्नत करने के लिए।
- योजना के कार्यान्वयन में राज्यों के सहयोग को सुरक्षित करने के लिए।

कार्य

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एनडीसी को निम्नलिखित कार्य दिए गए हैं-

- राष्ट्रीय योजना आयोग के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पैमानों का निर्धारण करना।
- योजना के क्रियान्वयन में संसाधनों का अनुमान लगाना और सुझाव देना।
- योजना आयोग द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय योजना की संस्तुति देना।
- राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने में महत्पूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों की संस्तुति करना।
- समय-समय पर राष्ट्रीय योजना के कार्यों की समीक्षा करना।
- राष्ट्रीय योजना को बनाने के लिए दिग्दर्शिता का सुझाव देना।

यद्यपि इसे योजना आयोग के सलाहकार निकाय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह अपनी संस्तुतियों को केंद्र एवं राज्य सरकारों को भेजती है। साल में दो बार इसकी बैठक होनी आवश्यक है।

राष्ट्रीय विकास परिषद का पहला एवं प्रमुख कार्य है- केंद्र, राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच सेतु की तरह कार्य करना। खासतौर पर योजना के क्षेत्र में योजना कार्यक्रमों की नीतियों में समन्वय स्थापित करना।

EduBull.com